राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री कार्यालय

क्रमांक–प.40(16)मु.म./सहा./2019 जयपुर दिनांक 19.02.2019

<u>कार्यालय आदेश</u>

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में गम्भीर घायल होने पर राशि 10,000 रुपये तक की सहायता स्वीकृत की जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दुर्घटना के प्रकरणों में गम्भीर घायल होने पर दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर राशि 20,000 रुपये (अक्षरे बीस हजार रुपये मात्र) की गई है।

यह आदेश दिनांक 18.02.2019 से प्रभावी होगा।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैं:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग (समस्त) राजस्थान।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री कार्यालय

क्रमांक–प.40(16)मु.म./सहा./2019 जयपुर दिनांक 19.02.2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में मृत्यु होने पर आश्रित को राशि 50,000 रुपये तक की सहायता स्वीकृत की जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दुर्घटना के प्रकरणों में मृत्यु होने पर आश्रित को दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर राशि 1,00,000 रुपये (अक्षरे एक लाख रुपये मात्र) की गई है।

यह आदेश दिनांक 18.02.2019 से प्रभावी होगा।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैं:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग (समस्त) राजस्थान।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
मुख्य मंत्री सचिवालय
CHIEF MINISTER'S SECRETARIAT

क्रमांकः मुमं / प.23(2)अ.बा.स. / 2001 / 3820 दिनांकः— 11/7/2001

जिला कलेक्टर (समस्त)

विषयः—जीवन रक्षा कोष एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता की स्वीकृति।

माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता क्षेत्र होने के कारण "मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष" तथा "मुख्यमंत्री सहायता कोष" से सहायता स्वीकृत करने में काफी प्रकिया का सरलीकरण हुआ है तथा स्वीकृति भी तत्काल जारी होने लगी है। फिर भी स्वीकृति प्रकिया के बारे में सामान्य जन और यहां तक कि कई शासकीय अधिकारियों को भी पूर्ण जानकारी नहीं होने से प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसलिए पूर्व में जारी आदेशों के कम में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है:—

1. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोषः—

   1. इस कोष से केवल उन्हीं व्यक्तियों को इलाज हेतु सहायता स्वीकृत की जाती है जो गरीबी की रेखा से नीचे चयनित परिवार का सदस्य हो। इसके लिए राज्य सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को मेडिकेयर रिलिफ कार्ड उपलब्ध कराये हुए है।
   2. सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालय, जिला अस्पतालों व अन्य सभी राजकीय अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश है कि चिकित्सालय में उपलब्ध दवाईयों पर पहला हक ऐसे परिवारों का है। अतः जब भी बी.पी.एल. परिवार का कोई सदस्य बीमार होकर अस्पताल में आये तो उसे निःशुल्क दवाईयाँ एवं निःशुल्क जांच की सुविधा आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसा व्यक्ति आउटडोर या इनडोर दोनों में इलाज कराते हुए निःशुल्क सेवाऐं एवं दवाईयाँ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। अतः जिला कलेक्टर अपने जिले के सभी चिकित्सालयों में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
   3. कुछ चिन्हित गंभीर बीमारियों, जिनमें इलाज पर काफी रुपया व्यय होता है, के इलाज हेतु बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को शत % सहायता मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से उपलब्ध कराई जाती है। सहायता स्वीकृति हेतु प्रक्रिया को भी काफी सरल किया गया है तथा स्वीकृति भी तत्काल जारी की जाती है। सहायता स्वीकृत कराने हेतु निम्न कागजात का होना आवश्यक है:—
      1. बीमार व्यक्ति या परिवार के मुखिया का सहायता स्वीकृति हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी या शासन सचिव, चिकित्सा के नाम सादा प्रार्थना-पत्र।
      2. इलाज करने वाले चिकित्सालय/चिकित्सक द्वारा प्रदत्त इलाज पर होने वाले व्यय का तखमीना।
      3. मेडिकेयर रिलिफ कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि।

उपरोक्तानुसार आवेदन–पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा शासन सचिव, चिकित्सा के कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। स्वीकृत सहायता राशि सीधे ही संबंधित चिकित्सालय को भेजी जाती है।

4. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से सहायता तब ही स्वीकृत की जाती है जब इलाज राजकीय चिकित्सालय में कराया जावें। यदि राजस्थान प्रदेश के किसी चिकित्सालय में वांछित विशेषज्ञ उपलब्ध ना हो तो सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस को केस रेफर होने पर ही सहायता स्वीकृत की जा सकती है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से निजी चिकित्सालयों में इलाज कराने पर सहायता देय नहीं है।

2. <u>मुख्यमंत्री सहायता कोषः–</u>

मुख्यमंत्री सहायता कोष से इलाज हेतु, दुर्घटना में घायल होने अथवा मृत होने पर उनके आश्रितों को शहीद सैनिकों के परिवारों को, विकलांग सैनिकों को तथा कुछ हत्या के प्रकरणों में सहायता स्वीकृत की जाती है। सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

1. <u>इलाज हेतु सहायताः–</u> गरीब व्यक्तियों को राजकीय चिकित्सालयों, विशेषज्ञता वाले अस्पतालों तथा ट्रस्टों द्वारा संचालित बडे चिकित्सालयों में इलाज कराने हेतु सहायता स्वीकृत की जाती है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ निम्न कागजात का होना आवश्यक हैः–
   1. बीमार या परिवार के मुखिया का सहायता स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र।
   2. संबंधित चिकित्सक द्वारा इलाज पर होने वाले व्यय का तखमीना।
   3. किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र।

   इस कोष से सहायता केवल उन्हीं परिवारों को देय है जिनकी वार्षिक आय 24 हजार रूपये से अधिक न हो। जनप्रतिनिधियों को आय प्रमाण–पत्र देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। सहायता स्वीकृत कर सामान्यतः संबंधित चिकित्सालय को प्रेषित की जाती है जो तखमीने की 30 से 40 प्रतिशत तक होती है।

2. दुर्घटना में मृत्यु एवं घायल होने पर सहायताः– पूर्व में जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया हुआ है कि दुर्घटना के प्रकरणों में तात्कालिक सहायता का भुगतान कर पुर्नभरण मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त कर ले। दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 10 हजार रूपये की सहायता देय है। अगर परिवार सक्षम है तो सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है।

   दुर्घटना में घायलों को चोट के अनुसार सहायता उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। साधारण घायल को अधिकतम दो हजार रूपये की सहायता तथा गंभीर घायलों को अधिकतम पांच हजार रूपये तक की सहायता स्वीकृत की जा सकती है। सहायता स्वीकृत करते समय जिला कलेक्टर को प्रकरण के बारे में संतुष्टि कर लेनी चाहिए।

3. हत्या के प्रकरणों में <u>सहायताः–</u> माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हालही में यह निर्णय लिया है कि हत्या के कुछ प्रकरणों में भी परिवार को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जावे। परन्तु यह सहायता मुख्यमंत्री कार्यालय से ही स्वीकृत होगी,

राजस्थान सरकार
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
मुख्य मंत्री सचिवालय
CHIEF MINISTER'S SECRETARIAT

जिला स्तर से नहीं। इसके लिए सहायता उन्हीं प्रकरणों में स्वीकृत की जा सकेगी जिनमें परिवार की वार्षिक आय 24 हजार रूपये से कम हो तथा जिसकी हत्या हुई है वह परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य हो। यदि ऐसे प्रकरण हो तो जिला कलेक्टर अपनी अभिशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर सकते है।

4. शहीद सैनिक परिवारों/विकलांग सैनिकों को सहायता:-

1. दिनांक 1.4.99 के बाद सीमा पर एवं काउन्टर इन्सरजेन्सी ऑपरेशन में शहीद होने वाले सैनिक एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के सदस्यों के शहीद होने पर उनके आश्रित को तात्कालिक सहायता के रूप में सैनिक कल्याण विभाग से Battle Casualty प्रमाणित होने पर 1.00 लाख रूपये स्वीकृत कर जिला कलेक्टर के माध्यम से भिजवाये जाते हैं। यह राशि शहीद की पत्नि को तथा अविवाहित होने की दशा में सैनिक रिकार्ड के अनुसार शहीद के माता/पिता को दी जाती है।
2. यदि शहीद विवाहित हो तो उसके माता-पिता के नाम पोस्ट ऑफिस में संयुक्त खाता खुलवाने हेतु रूपये 1.02 लाख की राशि जिला कलेक्टर के माध्यम से भिजवाई जाती है। शहीद के अविवाहित होने की दशा में यह राशि देय नहीं है।
3. शहीद का आश्रित 25 बीघा कृषि भूमि (इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में) अथवा मध्यम वर्ग का आवासन मण्डल का मकान नहीं लेना चाहे तो उसे मु.मं. सहायता कोष से चार लाख रूपये की राशि स्वीकृत की जा सकती है।
4. क्र.सं. 2 व 3 की राशि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों की प्राप्ति के बाद ही स्वीकृत की जाती है।
5. युद्ध में स्थाई अपंग हुए सैनिकों को सैनिक कल्याण विभाग के प्रमाणीकरण के बाद रूपये 25000 की नकद सहायता स्वीकृत की जाती है। 25 बीघा भूमि की एवज में विकलांग सैनिक रू. 4.00 लाख की नकद सहायता भी मु.मं. सहायता कोष से प्राप्त कर सकता है।
6. शहीद सैनिकों के आश्रितों/विकलांग सैनिकों को देय अन्य सुविधाओं हेतु निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

5. अन्य सहायता:- उपरोक्त वर्णित मदों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सहायता जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री सहायता कोष से बिना सचिव(प्रथम), मुख्यमंत्री की पूर्वानुमति प्राप्त किये, स्वीकृत नहीं कर सकेंगे।

कृपया सहायता हेतु प्रकरण भिजवाते समय नियमों एवं प्रक्रियाओं का ध्यान रखें ताकि स्वीकृति में विलम्ब नहीं हो।

भवदीय,

(सी.के. मैथ्यु)
सचिव(प्रथम), मुख्यमंत्रीजी

प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त (समस्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

उप सचिव, मुख्यमंत्रीजी

103Solider 4 L

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री कार्यालय

क्रमांक–प.40(16)मु.म./सहा./11 जयपुर दिनांक 15.07.2011

कार्यालय आदेश

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों/घायलों को दुर्घटना के दिनांक से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में सम्बन्धित जिला कलक्टरों के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। दुर्घटना में पीड़ितों को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, अतः यह अनुभव किया गया है कि उक्त एक वर्ष की अवधि अत्यधिक है, तथा इस कारण से ऐसे प्रकरणों में प्रायः अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।

अतः **दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों/घायलों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से** राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना दिनांक से अधिकतम एक वर्ष के स्थान पर यह अवधि दिनांक 1,अगस्त–2011 से **दुर्घटना के दिनांक से अधिकतम 6 माह** संशोधित की जाती हैं।

तदनुसार दुर्घटना के प्रकरणों में 6 माह से पूर्व के प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की जावे।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
2. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
3. सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग (समस्त), राजस्थान ।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान ।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री सहायता कोष

क्रमांक–प.40(16)मु.म./सहा./12 जयपुर दिनांक 13.12.2012

15.12.12

कार्यालय आदेश

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को राशि ₹20,000 की सहायता दी जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिनांक 13.12.2012 से दुर्घटना के प्रकरणों में मृत्यु होने पर आश्रित परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि ₹20,000 से बढ़ाकर राशि ₹50,000 (अक्षरे ₹पचास हजार मात्र) की जाती हैं।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग (समस्त), राजस्थान ।
2. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान ।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री सहायता कोष

क्रमांक—प.40(16)मु.म./सहा./12 जयपुर दिनांक 02.01.2013

कार्यालय आदेश

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में गम्भीर घायल होने पर परिवार को राशि ₹5,000 तक की सहायता दी जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिनांक 01.01.2013 से दुर्घटना के प्रकरणों में गम्भीर घायल होने पर दी जाने वाली सहायता राशि ₹5,000 से बढ़ाकर राशि ₹10,000 (अक्षरे ₹दस हजार मात्र) की जाती हैं।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैं:—

1. सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग (समस्त), राजस्थान।
2. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

3/1/13

मुख्य मंत्री कार्यालय
राजस्थान सरकार

क्रमांक–प.40(16)मु.म./सहा./2015 जयपुर दिनांक– 28.10.2015

जिला कलक्टर (समस्त)
राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में शीघ्रता से सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह ध्यान में लाया गया है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को 6 माह से अधिक समय उपरांत भी सहायता का भुगतान नहीं किया जाता है। इस मद में मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रत्येक जिले में राशि 10–10 लाख रुपये का रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया हुआ है। दुर्घटना में सहायता के प्रकरणों में समय पर सहायता नहीं देने के कारण तत्काल सहायता दिये जाने का औचित्य समाप्त प्रायः हो जाता है।

दुर्घटना के प्रकरणों में सहायता देने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से अधिकतम अवधि तीन माह में पटवारी/तहसील कार्यालय की रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार देय सहायता राशि सम्बन्धित के खाते में जमा कर दी जावे। मुख्यमंत्री कार्यालय में पुनर्भरण हेतु प्रकरण भिजवाते समय स्वीकृति पत्र में प्रार्थी द्वारा आवेदन करने की दिनांक एवं सहायता राशि को सहायता प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में जमा करने की दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित की जावे। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सहायता देने में कितना समय लगाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा केवल सड़क एवं रेल दुर्घटना के प्रकरणों में अन्वेषक अधिकारी की संतुष्टि पर पोस्टमार्टम कराने में शिथिलता प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से केवल सड़क और रेल दुर्घटना के प्रकरणों में अन्वेषक अधिकारी की संतुष्टि पर पोस्टमार्टम नहीं कराने की स्थिति में अन्वेषक अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने हेतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिथिलता प्रदान करने का प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाया जा सकता है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय

सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री